राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. खमीशा पुत्र माला, जाति मुसलमान, निवासी सिंहानिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	1 अर्जुनलाल पुत्र भारमलराम जाति विश्नोई, निवासी भीनमाल,जालौर 2. किशनलाल पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई निवासी जोगाउ,जालौर 3. गोरखाराम पुत्र भारूराम 4. चुण्डा पुत्र भारूराम जाति विश्नोई, निवासी सिंहानिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 5. देवाराम पुत्र खीयाराम 6. पुनमाराम पुत्र भारमलराम 7. पेमाराम पुत्र भारमलराम 8. प्रकाश पुत्र जोधाराम 9. भागीरथराम पुत्र माधाराम 10. रूगनाथराम पुत्र जोधाराम 11. शंकरलाल पुत्र जोधाराम, जाति विश्नोई, निवासी जोगाउ, तहसील भीनमाल, जिला जालौर। 12. तहसीलदार एवं उप पंजीयक सेड़वा।

14/5/24

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न....116...../2024

प्रार्थी खमीशा पुत्र माला जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता **श्री शाकर खान** वादपत्र वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. अरटी के खसरा संख्या 581/314 रकबा 13.6055 बीघा भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के खातेदारी घोषणा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्राथी के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक तहसील सेड़वा के मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. अरटी के खसरा संख्या 581/314 रकबा 13.6055 बीघा भूमि के राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिर्वतन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे तथा वादग्रस्त भूमि पर खड़े वर्षो पुराने माठ, बाड़ व मांठो में रदो–बदल, छेड़–छाड़ नहीं करें तथा न ही मांठो को काटे तथा प्रार्थी को बेदखल कर कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा प्रार्थी के खेत में अप्रार्थीगण जबरन प्रवेश नहीं करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस़ जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 25/6/24 को पेश हो।

14/5/24

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

25/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण के सम्मन Registered प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली में स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तारीख तक बढ़ाई जाकर पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के जवाब हेतु आईन्दा दिनांक 26/06/2024 को पेश हो।

28/06/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तारीख तक बढ़ाई जाकर पत्रावली वास्ते विपक्षीगण के जवाब हेतु [illegible]। दिनांक 08/07/2024 को पेश हो।

03/07/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जावें। वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते मूल आवेदन विड्रो करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि अजवान सदर का राजस्व आवेदन माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त अजवान के प्रकरण में हमारे गांव के मौजिज लोगों ने आपसी समझाइश करके राजीनामा करवा दिया है। इसलिए हम उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है। तथा उक्त राजस्व आवेदन को इसी स्तर पर विड्रो करना चाहते है।

अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उक्त अजवान के आवेदन को जरिये राजीनामा विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

LH

अमीश।।

(Advocate)